कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व *(CSR)* नीति

विषय-सूची **(Table of Contents)**

1)परिचय……………………………………………….…………………….……………...2

2)उद्देश्य…………………………………………………………………………….….....2

3) परिभाषाएँ…………………………………………………………………………..2

4) समिति की भूमिका……………………………………………………………………..2

5) निदेशक मंडल की भूमिका……………………………………....……….……...3

6) CSR गतिविधियों पर व्यय……………………………………………………………..4

7) वार्षिक कार्य योजना……………………………………………………….....……….5

8) CSR गतिविधियों का कार्यान्वयन…………………………………………………......5

9) निगरानी और प्रशासन…………………………………………………………..……….6

10)प्रत्यायोजन**(Delegation)**……………………………..………..…………..….....7

11) समीक्षा, सीमाएँ और संशोधन…………………………..…………….……………….7

12)अनुसूची **(Schedule I –** फोकस क्षेत्र एवं गतिविधियाँ**)**……………………………..8

1. परिचय (Introduction)

यह CSR नीति, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए कंपनी **(**कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति**)** नियम**, 2014** (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप बनाई गई है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता समिति **(CSRS)** द्वारा तैयार एवं अनुशंसित इस संशोधित नीति को **29** अप्रैल **2021** को अपनाया।

---

2. उद्देश्य (Objectives)

इस नीति का उद्देश्य कंपनी द्वारा CSR गतिविधियों के संचालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना है, जिसमें उनकी क्रियान्वयन**,** निष्पादन एवं निगरानी की प्रक्रिया शामिल है।

---

3. परिभाषाएँ (Definitions)

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम**, 2013** और कंपनी **(CSR** नीति**)** नियम**, 2014** में परिभाषित है, जिसमें समय-समय पर संशोधन या पुनः अधिनियमन किया जा सकता है।

---

4. समिति की भूमिका (Role of the Committee)

CSR समिति की भूमिकाएँ निम्नलिखित होंगी:
(a) CSR नीति तैयार करना और निदेशक मंडल को अनुशंसा करना, जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में की जाने वाली गतिविधियाँ शामिल हों।
(b) वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुशंसा करना, जिसमें शामिल हों:

- CSR परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची,
- निष्पादन की विधि,
- निधि उपयोग की प्रक्रिया एवं समयसीमा,
- निगरानी एवं रिपोर्टिंग तंत्र,
- आवश्यकता एवं प्रभाव मूल्यांकन का विवरण।

(c) नीति की समय-समय पर निगरानी करना,
(d) CSR नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना,
(e) अन्य कार्य जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा सौंपा जाए।

5. निदेशक मंडल की भूमिका (Role of the Board)

निदेशक मंडल निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- समिति की अनुशंसा के आधार पर CSR नीति और वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति देना।
- CSR नीति, समिति की संरचना और परियोजनाओं का वेबसाइट पर प्रकटीकरण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक CSR खर्च कंपनी के पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम **2%** हो।
- निधियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना, CFO से प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- CSR परियोजनाओं में स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।
- अप्रयुक्त राशि को अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में स्थानांतरित करना।
- प्रशासनिक व्यय को कुल **CSR** व्यय के **5%** से अधिक न होने देना।
- प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करना (जहाँ लागू हो)।

---

6. CSR गतिविधियों पर व्यय (Expenditure on CSR Activities)

- कंपनी प्रत्येक वर्ष CSR हेतु कम से कम 2% राशि खर्च करेगी।
- CSR गतिविधियाँ केवल भारत में और जनहित में की जाएँगी।
- CSR गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि को कंपनी के लाभ में नहीं जोड़ा जाएगा।
- अधिक व्यय की स्थिति में, अधिनियम के अनुरूप आगामी तीन वित्तीय वर्षों तक समायोजन किया जा सकता है।
- यदि खर्च कम हुआ है, तो अप्रयुक्त राशि को छह माह के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में स्थानांतरित किया जाएगा।

---

7. वार्षिक कार्य योजना (Annual Action Plan)

CSRS समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार कर निदेशक मंडल को अनुशंसा करेगी।
इस योजना में CSR परियोजनाओं की सूची, निष्पादन की प्रक्रिया, धन उपयोग का तरीका, निगरानी तंत्र और प्रभाव मूल्यांकन (जहाँ लागू हो) शामिल होंगे।

8. CSR गतिविधियों का कार्यान्वयन (Implementation of CSR Activities)

- कंपनी स्वयं CSR परियोजनाओं का संचालन कर सकती है या किसी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से करवा सकती है।
- CSR गतिविधियाँ कंपनी के सामान्य व्यावसायिक कार्यों का हिस्सा नहीं होंगी।
- परियोजनाओं के दौरान पूर्व और पश्चात मूल्यांकन **(Need-based assessment)** अनिवार्य होगा।
- कंपनी अन्य कंपनियों के साथ मिलकर CSR परियोजनाएँ चला सकती है, बशर्ते रिपोर्टिंग स्वतंत्र रूप से हो।
- किसी भी राजनीतिक योगदान को CSR गतिविधि नहीं माना जाएगा।

---

9. निगरानी और प्रशासन (Monitoring and Administration)

- निदेशक मंडल हर वर्ष CSR कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा।
- CFO यह प्रमाणित करेगा कि CSR निधि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हुआ।
- वार्षिक रिपोर्ट में CSR परियोजनाओं का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।
- जहाँ औसत CSR दायित्व ₹10 करोड़ या उससे अधिक हो, वहाँ स्वतंत्र एजेंसी से प्रभाव मूल्यांकन करवाया जाएगा।
- समिति आवश्यकता अनुसार बाहरी एजेंसियों द्वारा निगरानी/फील्ड ऑडिट करवा सकती है।

---

10. प्रत्यायोजन (Delegation)

निदेशक मंडल अपने किसी भी अधिकार या उत्तरदायित्व को निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, बशर्ते वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो।

---

11. समीक्षा, सीमाएँ और संशोधन (Review, Limitation & Amendment)

- CSRS समिति या निदेशक मंडल समय-समय पर इस नीति की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा।
- यदि इस नीति और अधिनियम/नियमों में कोई विरोधाभास पाया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधान इस नीति पर प्राथमिकता रखेंगे।
- किसी भी नए संशोधन को स्वतः इस नीति का हिस्सा माना जाएगा।

अनुसूची-I (Schedule I): फोकस क्षेत्र और गतिविधियाँ

A. भूख, गरीबी, कुपोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य

- भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।
- निर्धनों को निःशुल्क भोजन वितरण।
- स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम।
- अस्पतालों, चिकित्सा शिविरों, जांच केंद्रों आदि का संचालन या सहयोग।

B. शिक्षा और रोजगार

- बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास।
- आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ।
- विद्यालयों/कॉलेजों को अवसंरचना या वित्तीय सहायता।
- छात्रवृत्तियाँ और व्यावसायिक प्रशिक्षण।

C. महिलाएँ, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक

- महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, आत्म-सहायता समूह।
- अनाथालय, डे-केयर केंद्र, वरिष्ठ नागरिक गृहों का संचालन या सहयोग।

D. पर्यावरण संरक्षण

- पर्यावरणीय स्थिरता, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- स्वच्छ गंगा कोष में योगदान।

E. राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति

- ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण, कला और हस्तशिल्प का विकास।

F. सशस्त्र बल

- सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण।
- युद्ध विधवाओं एवं उनके बच्चों की शिक्षा।

G. खेलकूद

- ग्रामीण खेलों का विकास, ओलंपिक/पैरा-ओलंपिक प्रशिक्षण।

H. दान / योगदान

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष / PM CARES / राज्य सरकार कोषों में योगदान।
- अनुसूची VII में निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनियों को सहायता।

I. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ

- गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल, ऊर्जा एवं आजीविका सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

J. झुग्गी विकास **(Slum Area Development)**

- झुग्गियों में आवास, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार में सुधार।

K. आपदा प्रबंधन **(Disaster Management)**

- आपदा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ।

नोट*: उपरोक्त सूची संकेतात्मक है; CSR* समिति अधिनियम की अनुसूची *VII* के अंतर्गत अन्य परियोजनाएँ भी स्वीकृत कर सकती है।